Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद-08/23

सी. आई. एस.सं.-08/23

मो.खलील बनाम नाजनी खातुन

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
01/11/23	वादी की ओर से आदेश 22 नियम 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन सह शक्तिपत्र वादी के विधिक वारिसान के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी के द्वारा यह वाद दाखिल किया गया था तथा वाद की लंबित रहने के दौरान वादी की मृत्यु दिनांक 4 जून 2023 को हो गई है | वादी अपने पीछे चार पुत्र मोहम्मद शेखू,मोहम्मद दारा अंसारी,मोहम्मद गुलफाम आलम एवम कुसटुनटुन तथा चार पुत्री रेशमी परवीन,नाहिद आसमीन,साजिया परवीन एवं नाजनी खातून को छोड़कर मरे हैं।नाजनी खातून इस वाद में प्रतिवादी है |वादी के विधिक वारिसान को वादी के द्वारा इस वाद के दाखिल किए जाने की जानकारी दिनांक 7 अगस्त 2023 को हुई जिस कारण से इस आवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है अतःविनम्र निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुए वादी का नाम वादपत्र से विलोकित कर उनके विधिक वारिसान को इस वाद में प्रतिस्थापित किये जाने की कृपा की जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।अभिलेख की अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद अभी ग्रहण हेतु नियत है एवम इस वाद के वादी की मृत्यु हो गई है | वादी के विधिक वारिसान के द्वारा दर्शित विलम्ब का कारण समाधान प्रद प्रतीत होता है | अतःन्याय हित में वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत कर विलंब को माफ करते हुए वाद पत्र से वादी का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को वाद में पक्षकार बनाए जाने का आदेश दिया जाता है। वाद आगामी दिनांक 22/11/23 वास्ते न्याय शुल्क दाखिल करने हेतु नियत| लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	